न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 12/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बुद्वाराम पुत्र धर्माराम जाति कुम्हार निवासी धोलेरावखुर्द तहसील रिंयाबडी।		राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार, भैरून्दा तहसील रिंयाबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:20.06.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रिंयाबडी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 83/2015 सरकार बनाम बुद्वाराम में निर्णय दिनांक 07.12.15 के तहत मौजा धोलेरावखुर्द के खसरा नं. 157 रकबा 0.03 हैक्ट. खेल का मैदान भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.01.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.01.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार रिंयाबडी के प्रकरण संख्या 83/2015 सरकार बनाम बुद्वाराम में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2015 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को आगामी तारीख पेशी नही बतायी गई। जिसके कारण उसको आदेश जैर अपील की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 27.12.15 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दी गई। तब उसे प्रथम बार उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिसके लिये दिनांक 28.12.15 को नकलों के लिये आवेदन पेश किया तथा नकल लेकर रू. पैसे की व्यवस्था करके नागौर आया तथा अपील पेश की गई। न्याय हित में तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 07.12.15 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नोटिस निकालने पर अपीलांट हाजिर आया तथा उसने अधिवक्ता नियुक्त करके जवाब पेश करने के लिये अवसर दिये जाने का निवेदन किया तो तहसीलदार ने अपीलांट को कहा कि आपके विरूद्व कोई कार्यवाही नही कर रहे है। यह तो गांव वालो ने शिकायत की है। इसलिये तुम हस्ताक्षर कर दो तथा तहसीलदार ने खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये तथा उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना व आगामी तारीख पेशी बताये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया।

{2}(IV)–अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है। जिसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश गलत पारित किया गया है। जिसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश गलत पारित किया गया है। क्योंकि, अपीलांट जिस जायगा पर काबिज है तथा उसका मकान व बाडा बना हुआ है। जिसके संबंध में सन 1978 में भी कार्यवाही की गई थी। जिसके प्रकरण सं. 666/78 है। जिसमें नायब तहसीलदार

अपर कलक्टर, नागौर

मेडता ने उक्त जायगा पर अपीलांट के दादा पहलवान का पुराना कब्जा मानकर नियमन की सिफारिश की थी तथा उसके विरूद्व धारा 91 आरएलआर एक्ट की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त जायगा अपीलांट की पीढियों पुरानी जायगा है। जिसके संबंध में नियमन की कार्यवाही करके पट्टा जारी करने की सिफारिश की हुई है। जिसकी आज दिन तक सरकार द्वारा कोई अपील पेश नही की गई है। इस प्रकार से उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है तथा उक्त निर्णय के विपरीत कथन करने से तहसीलदार रियाबडी भी विबंधित है। किन्तु तहसीलदार रियाबडी ने अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

2(V)–पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त प्रकरण में इस संबंध में न तो पटवारी के सशपथ न्यायालय में उक्त तथ्यों को साबित करवाने के लिये बयान करवाये गये और न ही अपीलांट को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से निरस्तनीय है।

2(VI)–अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई तथाकथित रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो खारिज होने योग्य है।

2(VII)–अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्दों व उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिये बिना ही उक्त साक्ष्य के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया। जो अवैध है।

2(VIII)–अपीलांट एक गरीब भूमिहीन व्यक्ति है। जिसके पास उक्त जायगा के अलावा रहने के लिये अन्य कोई जायगा नही है तथा नायब तहसीलदार ने भी उक्त भूमि की अपीलांट के दादा के पक्ष में नियमन की सिफारिश की थी। जो आज दिन भी कायम है तथा उक्त जायगा में अपीलांट का पक्का मकान व बाडा बना हुआ है। जो वर्षो पुराने है। जिनसे अपीलांट को बेदखल करने का कोई औचित्य नही है। इसके अलावा उक्त खसरा की भूमि में से कई अन्य लोगो को भी सन् 1978 में पट्टे वितरित किये गये थे तथा वहां पर सभी लोगो के पक्के मकान बने हुए है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

3– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा धोलेरावखुर्द में स्थित खेल का मैदान भूमि पर अक्रिमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

4– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अक्रिमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके धोलेरावखुर्द के खसरा नंबर 157 रकबा 0.03 हैक्ट. खेल का मैदान भूमि पर अक्रिमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर